

Registration no: ( 23214412021821120345 ) Date: ( 21-08-2021 ) Valid till: ( 21-8-2024 )



बिहार शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BUXAR  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

बिहार - 850/ATE/ 700



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0  
बिहार केन्द्र, 2 छात्रावली-सेक्टर-0

बिहार - 24-05-2022

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 21-08-2021 और उसके क्रम में आपके क्रिडे गेटे पराचार एवं विद्यालय के क्रिडे गेटे निरीक्षण के आशोक आचके विद्यालय CAMBRIDGE SENIOR SECONDARY SCHOOL, KATHKAULI, BUXAR, KATHKAULI, BUXAR, 802101. कक्षा 1 से 8 तक संवाहन हेतु तीन वर्षों 18-05-2022 से 21-8-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न बातों के अनुपादन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं असाक्षर सभ्य के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का संवाहन हो रहा है, तो इस मायका का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उद्युक्त बच्चों के मायसे में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सौसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का केपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का क्लीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों का हिसाब से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा ।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में शिक्षा / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सहायेशन किया जाएगा ।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुकूल किया जाएगा ।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

Chairman  
Cambridge Sr. Sec. School  
BUXAR

Principal

CAMBRIDGE SR. SEC SCHOOL  
Kathkuli, Buxar  
802101, SCH. No. 65312

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसूची का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का शिथिल निरीक्षण

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 में उद्युक्त मानकों एवं मानकों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का शिथिल निरीक्षण



(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 2.125AC

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 2.125AC

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :- SPORTS FIELD WITH VOLLEYBALL COURT, FOOTBALL FIELD, BADMINTON COURT, BASKETBALL COURT, ATHLETIC FIELD, SLIDERS, BEAM BALANCE, HORIZONTAL BAR, CLASSROOMS, LIBRARY, LABORATORIES, WASHROOMS, URINALS, DRINKING WATER, DIGITAL CLASSES, ACTIVITY ROOM, COMPUTER ROOM

(IV) गर्म कपड़ों की कुल संख्या :- 27

(V) प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह-निर्देशक पदा :- 2

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग बौधायन :- Indian, Boys :- 21, Girls 14

(VII) मेकअप की सुविधा :- 25

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0


(IX) आधारभूत पहुँच, [ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय :- 1. BOOKS 2. CHARTS 3. FLASH CARDS 4. POSTERS AND DISPLAYS 5. SCIENCE EQUIPMENTS 6. MATHEMATICAL SHAPES 7. MAPS AND GLOBES 8. DIGITAL CLASSROOMS 9. COMPUTERS 10. MODELS 11. AUDIO VISUAL AIDS 12. AUDIO AIDS 13. MUSICAL INSTRUMENTS, 1. CRICKET BAT 2. CRICKET WICKETS 3. CRICKET BALLS 4. CRICKET KIT 5. FOOTBALLS 6. FOOTBALL NETS 7. VOLLEY BALLS 8. VOLLEY BALL NETS 9. BASKET BALL 10. BADMINTON RACKETS 11. BADMINTON COCKS 12. LUDOS 13. CARROMS 14. TABLE TENNIS TABLE 15. ( V, 875, NewsPaper MegaZine:- 7 )

11. कोई भी अप्रत्याशित वर्कला विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संघालित नहीं होगा ।
12. विद्यालय अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संघालित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संघालित नहीं होगा ।
15. सेवा का अंतिम एवं उसका प्रमाणीकरण आईई एकाउन्टेड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष बिना शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आर्बिट्रल प्रसूकृति कोड संख्या [ 23214412021021120345, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा प्रदायिका के द्वारा समय-समय पर गिफ्ट गैर प्रतिवेदन एवं सूझनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर प्रसूकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संघालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

  
Chairman  
Cambridge Sr. Sec. School  
BUXAR

  
Principal  
CAMBRIDGE SR. SEC SCHOOL  
Kathkauri, Buxar  
AFF. No. 330314, SCH. No. 65312

  
District Officer  
Ho 1-  
जिला कार्यक्रम प्रदायिका, BUXAR  
सह-सचिव प्रसूकृत समिति  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार